

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी:- श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस


क्रमांक - दुरुस्ती / 2024 / 319

दिनांक :- 21/06/24

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र में मुताबिक तहसीलदार भादरा की रिपोर्ट तथा प्रार्थी हरिसिंह पुत्र रामचन्द्र जाति सुथार व संजय पुत्र हरिसिंह के शपथ पत्र के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में चक 1 सीएचएन के खाता सं० 134/65 चक 4 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 317/108 तहसील भादरा जिला हनुमानगढ की जमाबन्दी में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-


क्र. सं.	ग्राम/चक/पटवार मण्डल	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1.	1 सीएचएन	134/65	हवासिंह पुत्र रामचन्द्र	हरिसिंह पुत्र रामचन्द्र
2.	4 जेजीडब्ल्यू	317/108	हवासिंह पुत्र रामचन्द्र	


पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ
दिनांक :- 21/06/24

क्रमांक:- सम/2024/320-323

प्रतिलिपी :- निम्न को सूचनार्थ एव पालनार्थ

1. तहसीलदार (राजस्व) भादरा को भेजकर लेख है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश, विवाद एव बैंक रहन न हो तो आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद/अंकन किया जाना सुनिश्चित करे।
2. हरिसिंह पुत्र रामचन्द्र को सूचनार्थ।
3. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा छानीबडी।
4. एक्सिस बैंक शाखा छानीबडी।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

